

छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 2 ) की धारा 76 के अधीन लोक सूचना

(सूचना के प्रकाशन की तारीख और सुनवाई की तारीख के बीच कम से कम तीस दिन का अंतर होना चाहिए )

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 76 की अपेक्षानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16-05-2017 को आक्षेप की सुनवाई छावनी परिषद कार्यालय में की जाएगी

यह सूचना , छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 319 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर लगाई जा रही है

1. सूचना पट्ट, चैरिंग क्रॉस, दगशाई छावनी
2. सूचना पट्ट, कुमारहट्टी, दगशाई छावनी
3. सूचना पट्ट, बाजार क्षेत्र, दगशाई छावनी
4. सूचना पट्ट, बाबू मोहल्ला, दगशाई छावनी
5. सूचना पट्ट, पुराना बाबू मोहल्ला, दगशाई छावनी
6. सूचना पट्ट, पिगरी मोहल्ला, दगशाई छावनी
7. सूचना पट्ट, माइ मोहल्ला, दगशाई छावनी
8. सूचना पट्ट, बोहरा मोहल्ला, दगशाई छावनी
9. सूचना पट्ट, छावनी परिषद कार्यालय, दगशाई

अनुज गोयल

मुख्य अधिशासी अधिकारी, दगशाई

(अनुज गोयल)

पत्र संख्या/सीबीडी/7/4/- 20

छावनी परिषद कार्यालय,

दगशाई 24 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:-

स्वास्थ्य पर्यवेक्षक,  
छावनी परिषद कार्यालय,  
दगशाई



(बोर्ड की मुद्रा)

:- छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु